कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

फोन नं.07744–226189, फैक्स नं. 07744–224422, ई–मेलः dj.rajnandgaon@nic.in

सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

कमांक989/दो–11–1/2015 राजनांदगांव, दिनांक, 30.06.2015

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि– **31 जुलाई 2015 संध्या 5.00 बजे तक**

जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव की स्थापना में निम्नानुसार सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं सहायक ग्रेड–तीन के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैंः–

रिक्त पदों का विवरण

क	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति 10%				अनुसूचित जनजाति 27%				अन्य पिछड़ा वर्ग 14%							
			मु.	म.	वि.	भू.पू. सै	मु.	म.	वि.	भू.पू. सै	मु.	म.	वि.	भू.पू. सै	मु.	म.	वि.	भू.पू. सै
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	सहायक प्रोग्रामर	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
2.	स्टेनोग्राफर हिन्दी	9	1	1	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–
3.	सहायक ग्रेड–3	34	2	1	–	–	9	5	1	2	3	1	–	–	5	3	1	1

संकेतकः– मु.–मुक्त, म.–महिला, वि.–विकलांग, भूपू.सै.–भूतपूर्व सैनिक

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(1) सहायक प्रोग्रामर के पद के लिए –

अ– वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 9300–34800/– ग्रेड वेतन रूपये 4300/–

ब– शैक्षणिक योग्यता–

1. युनिक्स/ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर/विण्डोज, एन.टी. में कार्य करने के अनुभव के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता :–

(I). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में एम.सी.ए./एम.एस.सी./बी.ई./बी.टेक डिग्री।

अथवा

(II). किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ डी.ओ.ई. से "ए" लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.जी.डी.सी.ए. तथा प्रोग्रामिंग/सॉफ्टवेयर डेव्हलपमेंट में तीन वर्ष का अनुभव

नोटः– उच्च योग्यता एवं अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(2) स्टेनोग्राफर(हिन्दी) के पद के लिए –

अ– वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200/– ग्रेड वेतन रूपये 2800/–

ब– शैक्षणिक योग्यता–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं
2. छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश/अन्य राज्य से शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।

(3) सहायक ग्रेड–3 के पद के लिए –

अ– वेतनमान वेतन बैण्ड रूपये 5200–20200/– ग्रेड वेतन रूपये 1900/–

ब– शैक्षणिक योग्यता–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं
2. छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश/अन्य राज्य से शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA] प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान।

टीपः– **मुद्रलेखन परीक्षा उर्तीण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें।**

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :–

(1) रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।
 (अ) कोई भी उम्मीद्वार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
 (ब) कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

(2) छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी पात्र होंगे, जिन्होंने 01 जनवरी 2015 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न कर ली गई हो।

(3) छ.ग. राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष की होगी।

(4) छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासियों के लिये कैलेण्डर वर्ष 2015 की समाप्ति के पूर्व केवल एक बार के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट निर्धारित हैं।(छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, रायपुर का ज्ञापन क. एफ–3–2/2002/1–3, दिनांक 20.12.2013 एवं परिपत्र दिनांक 27.09.2013) विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय अन्य छूट यथावत् लागू रहेगी, किंतु ऐसी सभी छूट को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उच्चतम आयु सीमा में छूट :–

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीद्वारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

(एक)(1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(एक)(2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–25–93/1 आ.प्र.दिनांक 20.01.1994 के अन्तर्गत आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(एक)(3)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कन्टिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के नियमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेंगी । यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(एक)(4)– ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

<u>स्पष्टीकरण</u>–छंटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है ।

(एक)(5)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(एक)(6)– महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी । जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी ।

(एक)(7)– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ.1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी । जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे ।

(एक)(8)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(एक)(9)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छुट रहेगी।

(दो)(1)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियो के संवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी. 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के सन्दर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(दो)(2)– विकम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी.3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी । इसी तरह राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ.–19–2/2005/1/3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

टीपः— (1) बिन्दु कमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी ।

(2) बिन्दु कमांक 3 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी । यह छूट बिंदु कमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी ।

उदाहरणः— यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ—साथ विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 5 वर्ष की छूट और दी जाएगी ।

(3) उपरोक्त 3 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी ।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया

1— आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे । पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31 जुलाई 2015 की संध्या 5.00 बजे तक बंद पंजीकृत लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद सहायक प्रोग्रामर/स्टेनोग्राफर—हिन्दी/सहायक ग्रेड—3 के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव (छ0ग0) के कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये जा सकते हैं । दिनांक 31 जुलाई 2015 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास विकलांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं 5—5 रूपये का डाक टिकिट लगा हुआ, स्वयं का पता लिखा हुआ दो लिफाफा संलग्न करना आवश्यक होगा।

2— विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव के शासकीय वेबसाईट www.ecourts.gov.in/rajnandgaon में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।

3— ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक—पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है ।

4— जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण—पत्र अथवा हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें ।

5— ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण—पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

6— आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिये तथा एक स्वप्रमाणित रंगीन पोस्टकार्ड साईज का फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।

7— पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के विलंब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

प्रारम्भिक छटनी— अभ्यर्थियों की संख्या, चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके स्नातक उपाधि के प्राप्तांक के प्रतिशत के आधार पर रिक्त पदों के वर्गवार दस गुना के सीमा के लगभग आवेदकों की छटनी कर दी जायेगी। सहायक ग्रेड—3 के ऐसे आवेदक जो हिन्दी/अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण है तथा स्टेनोग्राफर हिन्दी के ऐसे आवेदक जो अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण है, उन्हें इस संबंध में छुट रहेगी, शेष सभी स्नातक स्तर पर कम प्राप्तांक के आवेदकों को आगामी चयन प्रकिया में शामिल होने से अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

1. **सहायक प्रोग्रामर–**

(अ) **लिखित परीक्षा–** सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जावेगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 02 अंकों का होगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा एवं चार विकल्पों में से हीं उत्तर का चयन करना होगा। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

(ब) **साक्षात्कार–** सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची जारी की जावेगी, जो रिक्त पद के 5 गुना अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के होंगे, जो साक्षात्कार के लिये आमंत्रित होंगे। जो अभ्यर्थी साक्षात्कार में अनुपस्थित रहेंगे उन्हें चयन के लिये अनर्ह माना जावेगा। साक्षात्कार 10 अंकों का होगा।

टीप– साक्षात्कार पश्चात् एम.सी.ए/एम.एस.सी./बी.ई./बी.टेक के अभ्यर्थियों को कुल 10 अंक अतिरिक्त रूप से दिये जायेंगे। तीन वर्ष से अधिक का किसी संस्थान में प्रोग्रामिंग/साफ्टवेयर डेव्हलपमेंट का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को 05 अक प्रतिवर्ष के अनुभव के संबंध में दिये जायेंगे। प्राथमिकता निर्धारण हेतु अधिमान अंक 10 अंक से अधिक नहीं होगा। लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के पश्चात् अधिमान अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़कर प्राथमिकता का निर्धारण किया जावेगा।

2. **स्टेनोग्राफर हिन्दी–** उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रतिमिनिट की गति से 5 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जायेगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 45 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिये आधा अंक काटा जायेगा। जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा।

टीप– साक्षात्कार हेतु वर्गवार रिक्त पद के पॉच गुना उम्मीदवारों को मैरिट कम के अनुसार बुलाया जावेगा तथा साक्षात्कार कुल 25 अंक का होगा।

3. **सहायक ग्रेड तीन –**

(अ) **लिखित परीक्षा–** हिन्दी शुद्धलेखन/सामान्य हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित ज्ञान/ईमला की लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें प्रत्येक अशुद्धि के लिये आधा अंक काटा जायेगा। लिखित परीक्षा 125 अंक की होगी।

(ब) **कौशल परीक्षा–** उम्मीदवारों को 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट में कम्प्यूटर में टाईप करना होगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि पर आधा अंक काटा जायेगा। कौशल परीक्षा 125 अंक की होगी।

(स) **मेरिट सूची–** लिखित परीक्षा तथा कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। कौशल परीक्षा में 25 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के नाम पर विचार नहीं किया जायेगा।

टीप– स्टेनोग्राफर हिन्दी एवं सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु आयोजित परीक्षा में एक अभ्यर्थी के एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में उसे प्रत्येक पद के लिये आयोजित परीक्षा में शामिल होना होगा। परीक्षा एवं साक्षात्कार में निम्नानुसार पूर्णांक रहेंगे:–

सहायक प्रोग्रामर के पद हेतु –

01.	लिखित परीक्षा(वस्तुनिष्ठ)	–	100 अंक
02.	साक्षात्कार	–	10 अंक
03.	उच्च योग्यता/अतिरिक्त अनुभव हेतु अधिमान अंक	–	10 अंक

स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद हेतु –

01.	डिक्टेशन/श्रुतलेख/कम्प्यूटर टायपिंग	–	250 अंक
02.	साक्षात्कार	–	25 अंक

टीप– हिन्दी आशुलिपि के अभ्यर्थी को अंग्रेजी आशुलिपि उत्तीर्ण होने पर 10 अंक अतिरिक्त रूप से वरियता कम निर्धारण हेतु दिया जावेगा।

सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु –

01.	लिखित परीक्षा	–	125 अंक
02.	कौशल परीक्षा	–	125 अंक

टीप– हिन्दी आशुलिपि को 10 अंक, अंग्रेजी आशुलिपि उत्तीर्ण को 10 अंक एवं अंग्रेजी टायपिंग उत्तीण अभ्यर्थी को 05 अंक अतिरिक्त रूप से वरियता कम निर्धारण हेतु दिया जावेगा।

महत्वपूर्ण निर्देशः–

1. उपरोक्त पदों पर मेरिट सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जो अधिकतम एक वर्ष के लिये वैध होगी। प्रथमतः रिक्त पदों पर नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगी। परिवीक्षा अवधि आगे एक वर्ष के लिये बढाई जा सकेगी।
2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरियता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
3. सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र कमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1–7, दिनांक 23.08.2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दिया जावेगी।
4. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव का होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।
7. आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. रायपुर से सत्यापित न होने की दशा में संचालक आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. रायपुर से सत्यापित कराया जायेगा।
8. चयनित उम्मीदवारों के जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. चयन प्रकिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
10. उक्त नियुक्ति, आरक्षण के संबंध में माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटिशन कमांक (सी)591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाला अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन किया जावेगा।
11. महिला हेतु आरक्षित पदों पर योग्य महिला उम्मीदवार का चयन नहीं होने पर उस संवर्ग के पुरूष उम्मीदवार का चयन किया जा सकेगा।
12. यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
13. जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
14. आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट www.ecourts.gov.in/rajnandgaon से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होगा। कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र पर अंकित निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

15. दिनांक 31 जुलाई 2015 की शाम 05.00 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय के वेबसाईट www.ecourts.gov.in/rajnandgaon तथा सूचना पटल पर दिनांक 10 अगस्त 2015 तक प्रकाशित किया जायेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 03 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् दिनांक 17 अगस्त 2015 को प्रकाशित की जायेगी।
16. आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।
17. उम्मीदवारों को पृथक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा। आवेदक प्रवेश पत्र को पूर्णतः भरकर साथ लावें। उम्मीदवार को पात्र अंतिम सूची के अनुक्रमांक की जानकारी न्यायालय के वेबसाईट www.ecourts.gov.in/rajnandgaon से प्राप्त करनी होगी, जिसे ही अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर अंकित करना है।

महत्वपूर्ण टीपः– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जावेगी। नियुक्ति के पश्चात् कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

राजनांदगांव
दिनांक........................

अध्यक्ष
चयन समिति,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
राजनांदगांव.

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव(छ.ग.)

–: प्रवेश पत्र :–

सहायक प्रोग्रामर/स्टेनोग्राफर हिन्दी/सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु।

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम् पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एव दिनांक सहित

आवेदन का पंजीयन कमांक	:–	
परीक्षार्थी का अनुकमांक	:–	

आवेदित पद का नाम :– ____________________

अभ्यर्थी का नाम :– ____________________

पिता/पति का नाम :– ____________________

वर्ग–
(अना./अ.जा./अ.ज..जा./अ.पि.व.) :– ____________________

परीक्षा तिथि :– ____________________

समय :– ____________________

परीक्षा केन्द्र :– ____________________

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर।

कार्यालयीन उपयोग हेतु।

वास्ते/जिला एवं सत्र न्यायाधीश
राजनांदगांव.

परीक्षार्थी के लिये अनुदेशः–

1/ परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

2/ परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा के केवल काले अथवा नीले पेन का ही उपयोग करें। परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आवे। पृथक से प्रवेश–पत्र नहीं भेजा जावेगा। आवेदन पत्र के पंजीयन कमांक तथा अनुकमांक की जानकारी परीक्षार्थी जिला न्यायालय के वेबसाइट www.ecourts.gov.in/rajnandgaon से प्राप्त करें।

3/ परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र, कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, कैल्कुलेटर, मोबाईल, लॉग टेबल, ब्लू टूथ आदि रखाना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

4/ प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है। एक अतिरिक्त फोटो साथ लेकर आवश्यक रूप से लावे।

5/ परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।

आवेदन पत्र का प्रारूप
(सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर–हिन्दी एवं सहायक ग्रेड–3 के पद पर नियुक्ति हेतु)
(पंजीकृत डाक से ही भेजे)

प्रति,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम् पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एव दिनांक सहित

1. आवेदित पद का नाम : ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....

   (अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) : ....

3. लिंग– पुरूष संकेतक–1, महिला संकेतक–2 ☐

4. पिता/पति का नाम : ....

5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : ....
   (हिन्दी में) ....
   ....

   (ब) स्थाई पता : ....
   ....
   ....

5. (अ) जन्म तिथि (अंकों में)

   (शब्दों में) :..

   (ब) दिनांक 1/06/2015 को आयु :– .... वर्ष .... माह .... दिन

7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हॉ/नहीं ☐
   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)

8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये घोषित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हॉ/नहीं ☐
   (यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करे)

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। [ ]

10. क्या आवेदक विकलांग है ? हॉ/नहीं [ ]
(यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

11. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत :..

12. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक हैं ? हॉ/नहीं [ ]
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

13. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक [ ] दिनांक [ ]

14. रोजगार कार्यालय का नाम :..

15. क्या आप विवाहित हैं? हॉ/नहीं [ ]

16. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि [ ]

17. जीवित बच्चों की संख्या [ ]

कं0	नाम	लिंग	जन्म तिथि
1.	2.	3.	4.

18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

कं0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

19. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? हॉ/नहीं [ ]
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

20. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

<u>घोषणा</u>

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी ।

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर–

स्थान :

नाम एवं पूरा पता–

मोबाईल नं.–

ई–मेल–

(मोबाईल नंबर एवं ई–मेल अनिवार्य रूप से भरे)